

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाव
 किस्म मुकदमा गु. नं० वर्ष

दिनांक	आज्ञा पत्र
13-9-23	<p>कार्यालय रिपोर्ट होकर आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड करे। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीन आदेश दिनांक 25/08/2023 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 26/09/2023 नियत कर दी गयी। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का यह उज्र रहा है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत कर घोषणा के वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रस्तुत कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु बहस कर अधीनस्थ न्यायालय को निवेदन किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी बहस सुने जाने का ही अंकन नहीं किया गया। यदि विपक्षीगण विवादित आराजीयात को खुरद-बुर्द कर देते है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होंगे एवं पेचीदगियां बढ़ेगी। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना अभी शेष है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष नियत दिनांक 26/09/2023 को उपस्थित पक्षकारान की सुनवाई कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में युक्तियुक्त आदेश पारित करे। अपीलार्थी को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/09/2023 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तब तक उभयपक्ष विवादित भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 2.01 हैक्टेयर वाके</p>



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर

दिनांक

आज्ञा पत्र

ग्राम नानी तहसील सीकर की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रहन, बेचान या अन्य किसी प्रकार के हस्तान्तरण नही करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13/09/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

